

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं०
99/दावा/2016

तारीख दायर
01.12.2016

तारीख फैसला
10.01.2020

पुखराज आत्मज लाला जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी
बनाम वादी

1. महावीर आत्मज गंगाबिशन जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
2. कल्याण आत्मज गंगाबिशन जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
3. मुलकराज आत्मज गंगाबिशन जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
4. राजस्थान राज्य जर्गे उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी (राज०)
5. राजस्थान राज्य जर्गे तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज०)

....प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री शिव तोषनीवाल
अधिवक्ता अप्रार्थीगण:-

- :: निर्णय :: -

वाद 53,188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद-पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

वाद-पत्र में जारी प्राथमिक बंटवारा आदेश दिनांक 19.06.2018 के सन्दर्भ में तहसीलदार तालेडा द्वारा निम्न प्रकार बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाकर पेश किया गया है जो निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख०न०	रकबा बीघा बिस्वा में	लगान
1.	पुखराज आ० लाला कौम बलाई सा० देह खातेदार	गामछ	565/1	3.03	7.87



उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा में	लगान
2.	महावीर, कल्याण, मुल्कराज पि0 गंगाबिशन कौम बलाई सा0 देह खातेदार	ग्रामछ	565मि0	9.10	23.75

प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री पर पक्षकारान द्वारा सहमति दी जाकर अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार तालेड़ा वाद अंतिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि निम्नप्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा में	लगान
1.	पुखराज आ0 लाला कौम बलाई सा0 देह खातेदार	ग्रामछ	565/1	3.03	7.87

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा में	लगान
2.	महावीर, कल्याण, मुल्कराज पि0 गंगाबिशन कौम बलाई सा0 देह खातेदार	ग्रामछ	565मि0	9.10	23.75

बैंक रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। यह निर्णय आज दिनांक /0 .01.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ालेड़ाबन्दी